

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-2) विभाग

कमांक : प.17(160) खान/ग्रुप-2/2005-पार्ट जयपुर, दिनांक : 30 NOV 2011

आदेश

शासन द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 13.10.2011 में अंकित शर्त संख्या 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"5. जिन खनन पट्टों में खनन पट्टा क्षेत्र में या उसकी पांच किलोमीटर की परिधि में बेनिफिशियेशन संयंत्र स्थापित कर लिया गया है, वहां बेनिफिशियेटेड खनिज निर्गमित किये जाने हेतु अधिकतम रूप से, खनन पट्टे के अनुमोदित माइनिंग प्लान में उस वर्ष हेतु दर्शाई गई खनिज उत्पादन मात्रा की 25 प्रतिशत खनिज मात्रा से बनने वाला बेनिफिशियेटेड खनिज निर्गमन किया जा सकेगा, परन्तु पैलेट प्लांट / स्टील प्लांट / सीमेंट प्लांट की स्थापना हो जाने के पश्चात् प्लांट की आवश्यकता के अनुसार बेनिफिशियेटेड खनिज प्लांट के उपयोग के लिए रखना होगा तथा प्लांट की आवश्यकता पूरी होने के पश्चात् बचने वाला बेनिफिशियेटेड खनिज ही उक्त सीमा के अध्यक्षीन निर्गमित किया जा सकेगा। खनन पट्टे की सम्पूर्ण अवधि में उक्त प्रकार से बेनिफिशियेटेड खनिज निर्गमन हेतु दी गई अनुमतियों तथा शर्त संख्या 4 के अन्तर्गत दी गई अनुमतियों की कुल मात्रा खनन पट्टा क्षेत्र में सिद्ध खनिज भण्डार की मात्रा के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"

शासन उप सचिव 30/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, खान मंत्री, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव- I / II, खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4. विशेषाधिकारी (तकनीकी)/उप विधि परामर्शी/शासन सहायक सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर
5. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
6. समस्त अतिरिक्त निदेशक (खान)/(भू-विज्ञान), अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता, द्वारा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
7. रक्षित पत्रावली।

SME-II

शासन सहायक सचिव

U-Rules
2/11/11

12/11

P. 7-0